

प्रदेश के ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में खाना बनाने तथा प्रकाश हेतु आवश्यक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से बायो इनर्जी मिशन सेल द्वारा “कचरा लाओ बायो गैस ले जाओ” स्लोगन के अन्तर्गत कम्युनिटी बायोगैस परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना का प्रायोगिक माडल बायो इनर्जी मिशन सेल, कानपुर गौशाला समिति, कानपुर तथा एच०बी०टी०आई, कानपुर एवं आई आई टी कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में कानपुर गौशाला समिति के कैम्पस में कानपुर में वर्ष 2005–06 में स्थापित किया गया है। इस परियोजना में गोबर के अलावा सभी प्रकार के कृषि तथा औद्यानिकी अपशिष्टों के अलावा अन्य सभी बायो डिग्रेडिबल वस्तुएं प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अभीतक बायो गैस परियोजना में सिर्फ गोबर का ही प्रयोग होता रहा है।

सेल द्वारा तैयार की गयी पायलट परियोजना का वित्त पोषण यूनिसेफ के केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा टी०एस०सी० योजना (सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम) के अन्तर्गत किया गया। इसके अन्तर्गत परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि क्षेत्रीय अंशदान के रूप में तथा शेष 90 प्रतिशत धनराशि यूनिसेफ द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा को सेल के माध्यम से अनुदान के रूप में प्रदान की गयी है। पायलट परियोजना के संचालन हेतु प्रदेश के अति पिछड़े तथा कृषि प्रधान जनपद बलिया के गांव मिश्रबलिया, को चयनित किया गया, जहां तीन कम्युनिटी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से गांव के

लगभग 120 परिवारों को पाइप द्वारा बायो गैस की आपूर्ति खाना बनाने तथा रात्रि में प्रकाश हेतु किये जाने की व्यवस्था की गयी है। पायलट परियोजना के तैयार होने के उपरांत इसका ट्रायल भी किया जा चुका है।

कम्युनिटी बायो गैस परियोजना पूर्णतया बैंकेबल है। इस बाबत व्यवसायिक बैंकों, नाबार्ड, भारतीय लघुउद्योग विकास बैंक, सभी की सामूहिक बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। एक गांव की आबादी लगभग 1000 से 1200 मानते हुये परियोजना की लागत अधिकतम रूपये 20.00 लाख आंकी गयी है। इस लागत में 25 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित समूह/ग्राम पंचायत/समिति/ उद्यमी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में लगाया जाना प्रस्तावित है। 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 5.00 लाख की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि व्यवसायिक बैंकों से ऋण के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। ऋण के सापेक्ष सी0जी0एफ0टी0एस0आई0 (सेन्ट्रल गारण्टी फण्ड ट्रस्ट फार स्माल इण्डस्ट्रीज) से गारण्टी की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम सभाओं में इस परियोजना के प्रथम चरण के सापेक्ष स्वीकृत 100 इकाइयों को स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही सेल के स्तर पर की जा रही है। इस हेतु बजट में रूपये 5.00 करोड़ की व्यवस्था भी कर ली गयी है। इकाई की लाभप्रदता विश्लेषण के समय बैंकों ने इस बाबत उपलब्ध ऋण पर कृषि ऋण

जैसा ही ब्याज दर लागू करने तथा ऋण चुकौती की अधिकतम अवधि 7 वर्ष निर्धारित की है। पायलट माडल को संचालित करने हेतु बी०पी०एल० परिवारों से रूपये 50 प्रतिमाह अथवा तुल्य मात्रा में आर्गेनिक कचरा तथा ए०पी०एल० परिवारों रूपये 100 प्रतिमाह अथवा उसके तुल्य मात्रा में आर्गेनिक कचरा भुगतान के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार की तीन इकाईयों के एक क्लस्टर जो किसी भी गांव सभा हेतु सम्पूर्ण है, द्वारा लगभग 10 से 12 लोगों को पूर्णकालिक स्थाई रोजगार भी प्राप्त होगा। परियोजना का कुल कार्यकाल 20–25 वर्ष है तथा यह परियोजना पूर्णतया स्वदेशी तकनीकी एवं स्वदेशी उपकरणों पर आधारित है। बायोगैस प्राप्ति के उपरांत इस परियोजना से उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट भी प्राप्त होती है। जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में कारगर होती है।

इस परियोजना के संचालन से जहां हमारे गांव तथा अर्द्धशहरी क्षेत्र अपनी रोजमर्रा की भोजन पकाने तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति अल्प लागत में सुरक्षित तरीके से कर सकेंगे। इस इकाई से प्राप्त मीथेन में एच२एस की मात्रा शून्य तथा सी०२ की मात्रा नगण्य होती है। इस कारण लौ की गर्मी ज्यादा होने के साथ साथ दुर्गन्ध भी नहीं होती है। साथ ही इस परियोजना के संचालन से बातावरण संरक्षण हेतु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदान भी प्रदान करेंगे। उपलब्ध मानकों के अनुसार एक

इकाई मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट 20 इकाई कार्बनडाई आक्साइड के इफेक्ट के तुल्य होता है। इस कारण इस परियोजना को क्योटो प्रोटोकाल के अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि कार्बन क्रेडिट के अन्तर्गत प्राप्त लाभ को शामिल कर लिया जाय तो ऋण चुकौती की उक्त अवधि 7 वर्ष से घटकर 4-5 वर्ष हो जायेगी।

सेल द्वारा तैयार की गयी इस परियोजना को विभाग ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित करना चाहता है। सम्बन्धित ड्रीम प्रोजेक्ट की पायलट परियोजना तथा उसका बिजनेस माडल आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

V.W.

21.04.2008

(वी.० वैकटाचलस)

प्रभुद्व भविव,
नियोजन, द्वाहा राष्ट्राभिली एवं
कार्बन क्रेडिट विभाग,
दिल्ली शासन

मुख्य सचिव।

अवलोकित,

मुख्य सचिव
प्रशान्त कुमार मिश्र

प्रशान्त कुमार मिश्र (मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन)

V.W.
29.4.08

स्त्री ऊर्जा (Bio-energy cell)